उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0),प्रथम तल, नियर आई0एस0बी0टी0, माजरा, देहरादून

अधिसूचना

मार्च 11, 2008

सं0 एफ–9(19)आरजी/यूईआरसी/2008/1194–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62 व 86 के साथ पठित धारा 181 के अधीन न्यस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त सभी शक्तियों से समर्थ हो कर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी हेतु उपयोग किये जाने के लिये वार्षिक स्वतः वृद्धि कारकों को विनिर्दिष्ट करने के लिये, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

अध्याय 1 : प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ व निर्वचन :**

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (स्वतः वृद्धि कारकों के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2008 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) इन विनियमों का विस्तार समस्त उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

2. **परिभाषाएं एवं व्याख्या :**

(1) इन विनियमों में, तब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(ए) 'अधिनियम' से, इसमें संशोधन सहित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है।

---

[1]यह विनियम अंग्रेजी विनियम *दिनांक. 12.01.2008.का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।*

(बी) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है, जिसमें कैलेंडर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारंभ व अगले कैलेंडर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त अवधि समावेषित है।

(2) इन विनियमों में उपयोग किये गये शब्द व अभिव्यक्तियाँ जो उपयोग किये गये हैं किंतु परिभाषित नहीं किये गये हैं किंतु अधिनियम या यूईआरसी (जल विद्युत उत्पादन शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 या यूईआरसी (पारेषण शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 या यूईआरसी(वितरण शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या उक्त विनियमों(जो सुसंगत शुल्क विनियमों के रूप में संदर्भित हैं) में दिये गये हैं।

अध्याय 2 : स्वतः वृद्धि कारक की संगणना

3. **स्वतः वृद्धिकारक की अनुप्रयोज्यता :**

(1) मुद्रा स्फीति में वृद्धि हेतु उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी को क्षतिपूर्ति के लिये वार्षिक स्वतः वृद्धि कारक का प्रत्येक वर्ष के लिये अवधारण औद्योगिक कामगारों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रा स्फीति का भारित औसत तथा थोक मूल्य सूचकांक में चयनित घटकों के सूचकांक को लागू कर के किया जायेगा।

(2) इन विनियमों के अनुसार अवधारित वार्षिक स्वतः वृद्धि कारक निम्नलिखित के साथ साथ उपयोग किये जायेंगे :–

(ए) अनुज्ञप्तिधारियों/उत्पादक कंपनियों के लिये ओ एंड एम व्ययों के वार्षिक स्वतः वृद्धि का अवधारण।

(बी) इन विनियमों के जारी होने के अगले वित्तीय वर्ष हेतु सुसंगत विनियमों में पूंजी लागत अवधारण को सीलिंग के लिये वार्षिक स्वतः वृद्धि का अवधारण।

(सी) उपयुक्त आयोग द्वारा उचित समझे गये किसी अन्य उद्देश्य हेतु।

4. पिछले वर्षों के लिये वास्तविक स्वतः वृद्धि कारक :

(1) एक विशिष्ट वर्ष (k^{th} year) के लिये वास्तविक स्वतः वृद्धि कारक (EFk) की गणना, निम्नलिखित फार्मूले का उपयोग करते हुए प्रकाशित डाटा से की जायेगी :–

$EF_k = 0.40 \times Infl\ CPI_IW_k + 0.60 \times Infl\ WPI_SC_k$ (ताप उत्पादक कम्पनियों के लिये)

$EF_k = 0.55 \times Infl\ CPI_IW_k + 0.45 \times Infl\ WPI_SC_k$ (अन्य के लिये)

जहां,

Infl CPI_IWk = K^{th} वर्ष के लिये CPI_IW में औसत वार्षिक मुद्रा स्फीति

$$\left[\frac{CPI_IW_k}{CPI_IW_{k-1}} - 1\right] \times 100$$

Infl WPI_SCk = K^{th} वर्ष के लिये WPI_SC में औसत वार्षिक मुद्रा स्फीति

$$\left[\frac{WPI_SC_k}{WPI_SC_{k-1}} - 1\right] \times 100$$

CPI_IW_k = K^{th} वर्ष के लिये वार्षिक औसत CPI_IW
CPI_IW_{k-1} = K^{th} वर्ष से पूर्ववर्त्ती वर्ष में लिये वार्षिक औसत CPI_IW
WPI_SC_k = K^{th} वर्ष में लिये वार्षिक औसत WPI_SC
WPI_SC_{k-1} = K^{th} से पूर्ववर्त्ती वर्ष में लिये वार्षिक औसत WPI_SC

(2) CPI_IW सरकार द्वारा सीधे प्रकाशित रूप में लिया जायेगा।

(3) WPI_SC की गणना निम्नलिखित फार्मूले का उपयोग करते हुए उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित थोक मूल्यों पर समेकित डाटा से की जायेगी।

$$WPI_SC = \frac{\sum_{i=1}^{14} w_i WPI_i}{\sum_{i=1}^{14} w_i}$$

जहां,

WPIi ith वस्तु का थोक मूल्य सूचकांक है, तथा W_i संबंधित भार है।

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा अन्य अनुज्ञप्तिधारियों/उत्पादक कंपनियों हेतु नीचे दिये रूप में, WPI_SC को डिसएंटीग्रेटेड WPI सीरीज (1993-94 = 100) से चयनित सुसंगत अवयवों में भारित औसत के रूप में प्राप्त किया जायेगाः–

वस्तुएं	भार (Wi)	
	पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिये	अन्यों के लिये
1. लुब्रिकैन्ट्स	–	0.16367
2. सूती कपड़ा	0.90306	0.90306
3. जूट, सन व मेस्टा कपड़ा	–	0.37551
4. कागज व कागज उत्पादक	2.04403	2.04403
5. रबर व प्लास्टिक उत्पाद	2.38819	2.38819
6. प्राथमिक भारी इनॉर्गेनिक रसायन	–	1.44608
7. प्राथमिक भारी आर्गेनिक रसायन	–	0.45456
8. रंग, वार्निश व लेकर्स	0.49576	0.49576
9. तारपीन, सिंथेटिक रेजीन, प्लास्टिक सामग्री इत्यादि	0.74628	0.74628
10. माचिस, ज्वलनशील पदार्थ व अन्य रसायन	–	0.94010
11. अधातु खनिज उत्पाद	2.51591	2.51591
12. प्राथमिक धातु मिश्र धातु तथा धातु उत्पाद	8.34186	8.34186
13. यंत्र व यांत्रिक औजार	8.36331	8.36331
14. यातायात उपकरण व हिस्से	4.29475	4.29475
उपरोक्त सभी (WPI_SC)	30.09315	33.47307

5. **भविष्य के शुल्कों के लिये स्वतः वृद्धि कारक :**

(1) सुसंगत शुल्क विनियमों की अनुप्रयोज्यता की अवधि में भविष्य शुल्क वर्षों हेतु स्वतः वृद्धि कारक, पूर्ववर्ती पांच वर्षों के वार्षिक स्वतः वृद्धि कारकों के औसत पर आधारित होगा।

(2) इस औसत स्वतः वृद्धि कारक का उपयोग वर्तमान वर्ष तक पूर्ववर्ती पांच वर्ष की अवधि के मध्य वर्ष के अगले प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु तथा भविष्य के वर्षों हेतु किया जायेगा।

अध्याय 3 : प्रकीर्ण

6. **व्यावृत्तियाँ :**

(1) न्याय का उद ्देश्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक आदेश निर्मित करने के लिये, इन विनियमों में कुछ भी आयोग की शक्तियों को प्रभावित या सीमित करने वाला नहीं समझा जायेगा।

(2) इन विनियमों में कुछ भी, अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप आयोग को ऐसी प्रक्रिया अपनाने में बाधक नहीं होगा जो कि इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों से भिन्न हो, यदि आयोग, मामले या मामलों की श्रेणी की विशेष परिस्थिति के दृष्टिगत ऐसे मामले या मामलों की श्रेणी के निर्णय हेतु इसे उचित व समीचीन समझता है।

(3) जिस के लिये कोई विनियम नहीं बनाये गये हैं, ऐसे किसी मामलें में या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग के लिये बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

7. **कठिनाईयाँ दूर करने की शक्तियाँ :**

यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकता है जो कठिनाई दूर करने के उद्देश्य से आयोग को आवश्यक प्रतीत हों तथा अधिनियम से असंगत न हों।

8. **संशोधन की शक्ति :**

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी उपबंध में परिवर्धन, परिवर्तन, उपान्तरण या संशोधन कर सकता है।

आयोग के आदेश से

पंकज प्रकाश
सचिव
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग